


Frequently Asked Questions

FAQs



Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongri,

Jaipur (Rajasthan) - 302004

[https://environment.rajasthan.gov.in/content/
environment/en/rajasthan-state-pollution-control-board.html#](https://environment.rajasthan.gov.in/content/environment/en/rajasthan-state-pollution-control-board.html#)

Frequently Asked Questions

Compiled under supervision of

Dr. Vijai Singhal

Chief Environmental Engineer

by:

Bhuvanesh Mathur

Senior Environmental Engineer

Deeksha Agrawal

Junior Environmental Engineer

Reshma Khan

Junior Environmental Engineer

Mayank Sharma

Junior Environmental Engineer

Prasputita Nanda

Scientific Officer

Under Guidance & Directions of

Sh. Anand Mohan

Member Secretary

Smt. Veenu Gupta

Chairperson



Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Tel: 0141-5159699, 5159604,

Email: member-secretary@rpcb.nic.in

Smt. Veenu Gupta
I.A.S.
Chairperson



Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Tel: 0141-5159699, 5159604.

Foreword

Rajasthan State Pollution Control Board is entrusted with duties to enforce provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and various rules under Environment Protection Act, 1986 viz the Hazardous and other Waste management and Trans boundary Movement Rules, 2016, the Bio medical Waste (Management and Handling) Rules, 2016, the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2016, E-Waste Management Rules, 2016 and Plastic Waste Management Rules, 2016.

It has been observed by the State Board that several issues are being faced by the industries/mines/health care facilities/services while seeking Consent/Authorization/Registration from the State Board.

I am pleased to present this document on Frequently Asked Questions being published to facilitate the industries in seeking Consent/Authorization/Registration from the Board.

I am sure that this document will clarify all the queries of the entrepreneurs and will be helpful in filing for Consent/Authorization/Registration under various environmental acts.


(Veenu Gupta)
Chairperson

Frequently Asked Questions

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
1.	प्री-स्क्रीनिंग चरण में सहमति/प्राधिकरण/पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है?	<p>(राज्य बोर्ड केवल ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सहमति / प्राधिकरण / पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार करता है और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं है)</p> <p>नए उपयोगकर्ताओं के लिए:</p> <p>चरण 1. नए उपयोगकर्ताओं के लिए पंजीकरण या तो निम्न के माध्यम से किया जा सकता है: राजस्थान सिंगल साइन ऑन सुविधा www.sso.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है या राज्य बोर्ड की वेबसाइट http://enviroment.rajasthan.gov.in/content/enviroment/en/rajasthan-state-pollution-control-board/Applyonline.html पर उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा लागू करें।</p> <p>चरण 2. आवेदक को पंजीकरण के दौरान आवेदक द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।</p> <p>चरण 3. आवेदन भरने के लिए उपरोक्त प्राप्त लॉगिन आईडी का उपयोग करें।</p> <p>चरण 4. ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले; कृपया हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध मैनुअल/दिशानिर्देश देखें।</p> <p>चरण 5. पीडीएफ प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां तैयार रखें ताकि इसे आसानी से अपलोड किया जा सके।</p> <p>(विभिन्न प्रकार के आवेदनों की जांच सूची के लिए यहां क्लिक करें- https://environment.rajasthan.gov.in/content/dam/environment/RPCB/Prescreening/Checklist.pdf)</p>

		<p>चरण 6. इसके बाद, लॉग इन करें और आवेदन भरना शुरू करें। तारांकन (*) से चिह्नित फ़ील्ड अनिवार्य फ़ील्ड हैं।</p> <p>चरण 7. भुगतान विकल्प टैब का उपयोग करके एक चालान संख्या उत्पन्न करें, जिसके लिए प्री-स्क्रीनिंग शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।</p> <p>चरण 8. भुगतान इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड जैसे एनईएफटी/आरटीजीएस/नेट/ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा किया जा सकता है। ई-मित्र कियोस्क पर भुगतान नकद या डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।</p> <p>चरण 9. प्री-स्क्रीनिंग शुल्क के भुगतान के बाद, चेकलिस्ट में संबंधित प्रविष्टियों के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। कृपया इस स्तर पर सहमति शुल्क का भुगतान न करें। इसका भुगतान तभी किया जाना चाहिए जब आपका आवेदन प्री-स्क्रीनिंग प्रक्रिया से मंजूरी मिल जाए और आपको उसके बाद सहमति शुल्क का भुगतान करने की सलाह दी जाए।</p> <p>चरण 10. सभी सूचनाओं की जांच करें और जमा करने के लिए आगे बढ़ें। जमा करने के संबंध में अधिसूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है।</p> <p>चरण 11. अपूर्ण आवेदन (आवेदनों) को आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल पते और एसएसओ आईडी पर एक कमी पत्र के माध्यम से ऑनलाइन वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>चरण 12. आवेदक को 15 दिनों के भीतर संबंधित प्रविष्टियों के खिलाफ सभी आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन फिर से जमा करना होगा, ऐसा न करने पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और आवेदक को पूर्व-स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से सहमति/प्राधिकरण/पंजीकरण प्राप्त करने के लिए फिर से आवेदन करना होगा। राज्य बोर्ड 3 से 10 तक सभी चरणों का पालन करता है।</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>चरण 13. प्री-स्क्रीनिंग सेल से पुष्टि के बाद, आवेदक 10 दिनों के भीतर सहमति शुल्क का भुगतान कर सकता है, ऐसा न करने पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और आवेदक को राज्य बोर्ड से सहमति / प्राधिकरण / पंजीकरण प्राप्त करने के लिए प्री-स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से फिर से आवेदन करना होगा। 3 से 10 तक सभी चरणों का पालन करें।</p> <p>मौजूदा उपयोगकर्ताओं के लिए:</p> <p>चरण 1. राज्य बोर्ड की वेबसाइट पर अपने क्षेत्र के संबंध में हाल के दिशानिर्देशों की जाँच करें।</p> <p>चरण 2. 3 से 13 तक सभी चरणों का पालन करें।</p>
2.	प्री-स्क्रीनिंग प्रक्रिया क्या है?	<p>यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दस्तावेजों के संदर्भ में प्रारंभिक स्तर पर आवेदनों की जांच की जाएगी और बाद में अपूर्ण पाए जाने पर उद्योग को कमियां जारी की जाएंगी। भरे हुए आवेदन को पर्यावरण विभाग, शुल्क अधिसूचना, 2016 के अनुसार सहमति शुल्क जमा करने के लिए कहा जाएगा। (प्री-स्क्रीनिंग प्रक्रिया के लिए यहां क्लिक करें - https://environment.rajasthan.gov.in/content/dam/environment/RPCB/Prescreening/Flow%20Chart%20hindi.pdf)</p>
3.	प्री-स्क्रीनिंग क्यों जरूरी है?	<p>प्री-स्क्रीनिंग का उद्देश्य आवेदनों की जांच की प्रक्रिया को तेज करना और दस्तावेजों की कमी के संबंध में आवेदनों को अस्वीकार करने की संभावना को समाप्त करना है।</p>
4.	जब पहले से ही सहमति/प्राधिकरण/पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा है तो प्री-स्क्रीनिंग शुल्क क्यों है?	<p>प्री-स्क्रीनिंग स्तर पर आवेदनों के लिए प्री-स्क्रीनिंग शुल्क लगाया जा रहा है। इसके अलावा, यह अनावश्यक आवेदनों को समाप्त कर देगा।</p>
5.	क्या प्री-स्क्रीनिंग और सहमति/प्राधिकरण/पंजीकरण शुल्क सामूहिक रूप से लिए जा रहे हैं?	<p>नहीं, आपको पहले केवल प्री-स्क्रीनिंग शुल्क जमा करना होगा। दस्तावेजों और प्री-स्क्रीनिंग शुल्क के संबंध में आपका आवेदन पूरा होने पर ही आपसे सहमति/प्राधिकरण/पंजीकरण शुल्क जमा करने के लिए कहा जाएगा।</p>

6.	कमियों को पूरा करने के लिए उद्योग को कितना समय दिया जाएगा?	कमियों को जारी करने के बाद, उद्योग को 15 दिनों के भीतर सभी कम दस्तावेज और प्री-स्क्रीनिंग शुल्क जमा करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर प्री-स्क्रीनिंग सेल द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उद्योग को प्री-स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से फिर से आवेदन करना होगा। नए प्री-स्क्रीनिंग शुल्क के साथ।
7.	उद्योग को सहमति/प्राधिकार/पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए कितना समय प्रदान किया जाएगा?	सहमति/प्राधिकार/पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने का अनुरोध करने के बाद, उद्योग को 10 दिनों के भीतर सहमति/प्राधिकार/पंजीकरण शुल्क जमा करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर उद्योग को उसी प्री-स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से नए प्री-स्क्रीनिंग शुल्क के साथ फिर से आवेदन करना होगा। .
8.	विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों के लिए प्री-स्क्रीनिंग शुल्क क्या होगा?	<ol style="list-style-type: none"> 1. हरित श्रेणी- रु. 100 2. नारंगी श्रेणी- रु. 1000 3. लाल श्रेणी- रु. 2000
9.	प्री-स्क्रीनिंग सेल द्वारा आवेदन की जांच के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी?	<p>आवेदन पूरा हो गया है:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पूर्ण आवेदन (आवेदनों) को रखा जाएगा और आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित समूह/क्षेत्रीय कार्यालय को चिह्नित किया जाएगा। 2. आवेदन (आवेदनों) को आवश्यकता के अनुसार सूचना और निरीक्षण के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को भी चिह्नित किया जाएगा। 3. संबंधित समूह/क्षेत्रीय कार्यालय पर्याप्त सहमति शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पर कार्रवाई करेगा। (शुल्क अधिसूचना दिनांक 26.05.2016 के लिए यहां क्लिक करें - https://environment.rajasthan.gov.in/content/dam/environment/RPCB/Prescreening/Fee%20Notifaction%2026%20May%202016.PDF)

		<p>आवेदन अधूरा है:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपूर्ण आवेदन (आवेदनों) को आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर, ई-मेल पते और एसएसओ आईडी को दस्तावेजों के बारे में जानकारी के साथ एक कमी पत्र के माध्यम से ऑनलाइन वापस कर दिया जाएगा, जिसे परियोजना प्रस्तावक को पुनः आवेदन के समय फिर से जमा करने की आवश्यकता होती है। 2. इकाई 15 दिनों के भीतर पूर्ण आवेदन पुनः प्रस्तुत करेगी, जिसमें विफल रहने पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और आवेदक को पूर्व-स्क्रीनिंग के साथ उसी प्रक्रिया के माध्यम से राज्य बोर्ड से सहमति/प्राधिकरण/पंजीकरण प्राप्त करने के लिए फिर से आवेदन करना होगा। शुल्क। <p>विचाराधीन दिन:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. परियोजना प्रस्तावक की प्री-स्क्रीनिंग फीस ऑनलाइन कमी के संचार की तारीख से 15 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी और उन्हें इस अवधि के भीतर सभी दस्तावेजों को पूरा करना होगा, ऐसा नहीं करने पर प्री-स्क्रीनिंग सेल द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और प्रस्तावकों को उसी प्रक्रिया के माध्यम से राज्य बोर्ड से सहमति/प्राधिकरण/पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पुनः आवेदन करना होगा। 2. प्री-स्क्रीनिंग सेल से पुष्टि के बाद, आवेदक अपना अंतिम भुगतान 10 दिनों के भीतर कर सकता है, ऐसा न करने पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और आवेदक को राज्य बोर्ड से सहमति/प्राधिकरण/पंजीकरण प्राप्त करने के लिए फिर से आवेदन करना होगा।
10.	मुझे दस्तावेजों/आवेदन की कोई हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता है?	नहीं, सभी दस्तावेज/आवेदन केवल पीडीएफ फॉर्म में अपलोड किए जाएंगे। उद्योग को कोई हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, यदि संबंधित समूह/क्षेत्रीय अधिकारी को जांच के बाद पता चलता है कि कुछ दस्तावेज/सूचना अभी भी गायब है, तो वह उसे मांग सकता है जिसे हार्ड कॉपी में जमा किया जा सकता है।

11.	क्या मुझे ईआईए (पर्यावरण प्रभाव आकलन) अधिसूचना, 2006/अरावली अधिसूचना, 1992 जैसा लागू हो, एनबीडब्ल्यूएल (राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड) प्रमाण पत्र की प्रति और संबंधित डीसीएफ (वन उप संरक्षक) के प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप) के बारे में जानकारी संलग्न करने की आवश्यकता है?	परियोजना प्रस्तावक को ईआईए अधिसूचना/एनबीडब्ल्यूएल/संबंधित डीसीएफ के प्रमाण पत्र के लागू न होने के संबंध में स्व-घोषणा अपलोड करनी होगी। हालाँकि, यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज़ लागू होता है, तो उसकी प्रति अपलोड की जानी चाहिए।
12.	क्या मुझे प्रयोगशाला की मान्यता की प्रति के साथ एमओईएफ या सीपीसीबी द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड प्रयोगशाला या प्रयोगशाला से उत्सर्जन/प्रवाह के विभिन्न स्रोतों का Analysis/monitoring reports प्रस्तुत करने की आवश्यकता है?	यदि लागू हो तो परियोजना प्रस्तावक को एमओईएफ या सीपीसीबी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की Analysis/ monitoring reports प्रस्तुत करनी होगी। गैर-लागू होने की स्थिति में- परियोजना प्रस्तावक निर्धारित प्रारूप में इसे प्रारंभ से ही घोषित कर देगा।
13.	क्या मैं पिछले वर्गीकरणों में से किसी क्षेत्र का चयन कर सकता हूँ?	आपको बोर्ड के आदेश दिनांक 02.06.2020 द्वारा जारी नवीनतम वर्गीकरण से ही क्षेत्र का चयन करना होगा। (बोर्ड के वर्गीकरण दिनांक 02.06.2020 के लिए यहां क्लिक करें - https://environment.rajasthan.gov.in/content/dam/environment/RPCB/Pre screening/categorization.pdf).
14.	क्या मैं पुराना सीए अपलोड कर सकता हूँ? मेरे आवेदन के साथ प्रमाण पत्र?	आपको आवेदन के साथ नवीनतम सीए प्रमाण पत्र (वर्तमान वित्तीय वर्ष) अपलोड करने की आवश्यकता है। पुराना सीए प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं हैं।
15.	शुल्क जमा करने में कठिनाई होने पर मुझे क्या करना चाहिए?	ऑनलाइन शुल्क जमा करने से संबंधित किसी भी कठिनाई के मामले में आप ग्रुप इंचार्ज-आईटी (मोबाइल नंबर-09413902443, ईमेल आईडी- acp.rpcb@gmail.com) से संपर्क कर सकते हैं।

16.	मैं अपना आवेदन ई-मित्र के माध्यम से कैसे जमा करूँ?	यूनिट के मालिक को अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी और इसे एप्लिकेशन से लिंक करना होगा। इकाई को आगे के पत्राचार के लिए परियोजना प्रस्तावक का फोन नंबर और ई-मेल आईडी भरना होगा। कृपया ई-मित्र ऑपरेटर के एसएसओ आईडी/ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर का उपयोग न करें क्योंकि आप बाद में ई-मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से राज्य बोर्ड द्वारा भेजे जा रहे संचार को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। कृपया ध्यान दें कि इस मामले में कमी पत्र जारी करने और अन्य संबंधित संचार केवल ई-मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से प्री-स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
17.	क्या मैं किराए की भूमि और भवन के मामले में परियोजना रिपोर्ट/सी.ए. प्रमाण पत्र में भूमि और भवन की लागत शामिल कर सकता हूँ ?	हां, आपको किराए की भूमि और भवन के मामले में परियोजना रिपोर्ट/सी.ए. प्रमाण पत्र में भूमि और भवन की लागत शामिल करनी होगी। (लागत को डीएलसी दर के अनुसार शामिल किया जा सकता है)।
18.	क्या मुझे भूमि के कागजात में किराए के समझौते के साथ मालिक का पट्टा विलेख जमा करने की आवश्यकता है?	हां, परियोजना प्रस्तावक को रेंट एग्रीमेंट के साथ ओनर लीज डीड जमा करना आवश्यक है।
19.	ग्रीन श्रेणी के परियोजनाओं के मामलों में भूमि रूपांतरण पत्र (औद्योगिक उपयोग) की मांग / छूट के लिए क्या आवश्यकता है?	किसी भी उद्योग को निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित / परिवर्तित किए जाने के पश्चात ही राज्य मंडल द्वारा स्थापना / संचालन हेतु अनुमति दी जाती है, तदापि निर्णय लेते वक्त Land Revenue Act 2007 के प्रावधानों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
20.	कई बार जिला प्रशासन और यूआईटी भूमि के रूपांतरण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की राय पूछते हैं, जबकि मौजूदा पर्यावरणीय कानूनों के अनुसार इसकी आवश्यकता नहीं है?	राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य मंडल उपरोक्त अधिनियमों के तहत वायु मंडल अथवा प्रदूषित जल तथा अन्य प्रकार के प्रदूषित तत्वों के

		<p>निपटान हेतु कि गई व्यवस्था का परिक्षण कर सम्मति Authorization व Registration का निस्तारण करते है।</p> <p>राज्य मंडल किसी भी उद्योग के भूमि रूपांतरण से संबंधित राय देने के लिए बाध्य नहीं है।</p>
21.	<p>क्या राज्य मण्डल द्वारा जारी-सहमति (CONSENT) लेटर प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की पावर ऑफ अटॉर्नी को अनिवार्य है ?</p>	<p>संबंधित शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके हस्ताक्षर के बाद ऐसे किसी भी पत्र को परियोजना के प्रस्तावक को तुरंत डाक से भेजा जाए। यदि पत्र डाक से नहीं दिया जा रहा है और उसे सीधे सौंपा जा रहा है तो उन्हें यह देखना चाहिए कि पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति परियोजना प्रस्तावक का अधिकृत प्रतिनिधि है या नहीं। संबंधित मंत्रालियिक स्टॉफ की ओर से दिए पत्र को संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। राज्य मंडल द्वारा सभी Consent/Authorization पत्र उद्योगों को e-mail द्वारा भी प्रेषित किये जाते है जो कि Digitally हस्तांतरित होते है एवं कानूनी गैर पर मान्य है।</p>
22.	<p>CTE की वैद्यता 5 वर्ष है, यदि परियोजना प्रस्तावक 5 वर्ष में प्रोजेक्ट स्थापित नहीं करता है तो क्या शुल्क के साथ सीटीई के नवीनीकरण के लिए नए आवेदन की आवश्यकता होगी?</p>	<p>राज्य मंडल सामान्यतः पांच वर्ष की अवधि के लिए स्थापना की सम्मति जारी करता है। यदि प्रस्ताव इस अवधि को बढ़ाना चाहता है तो स्थापना की सम्मति की वैद्यता की अंतिम तारीख से कम से कम 120 दिन पूर्व पत्र द्वारा आवेदन करना होगा व कारण भी बताना होगा। सामान्यता: इसके पश्चात् CTE अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान है। इस प्रावधान का उपयोग आवेदन करता द्वारा एक ही बार लिया जा सकता है। यदि प्रस्ताव तय स्थापना की सम्मति को बढ़ाने के संबंध में तय समयावधि में आवेदन करने में विफल हो जाता है तो उसे स्थापना की सम्मति के लिए मय कि फीस एवं अन्य DOCUMENT के साथ नया आवेदन करना होगा।</p>
23.	<p>जब भूमि या भवन किराए पर लिया जाता है – यूनिट के लिए भूमि या भवन किराए पर लेने वाले</p>	<p>जमीन के आरक्षित दर और निर्माण लागत के आधार पर फीस का कैलकुलेशन किया जाएगा। जिसमें जमीन की कीमत और बिल्डिंग का उद्देश्य भी सम्मलित होगा।</p>

	बहुत मामलों में उसमें निवेश की समस्या उत्पन्न हो जाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट दर्शाता है कि उक्त बिल्डिंग या भूमि किराए पर है। ऐसी स्थिति में भूमि या भवन के लिए कितना मूल्य लिया जाना है?	प्रस्तावक भूमि में निवेश किसी प्रमाणित वैल्यूएटर या सिविल इंजिनियर के जरिए अलग से दे सकता है।
24.	ग्रीन कैटेगरी में स्वीकृति के संबंध में – क्या सीटीई अथवा सीटीओ अलग-अलग दी जाती है अथवा कोई अन्य प्रावधान है।	ऐसे ग्रीन कैटेगरी उद्योग जिनका निवेश या लागत 5 करोड़ से कम है ऐसे उद्योग “Acknowledgement” के अन्तर्गत आते हैं जिन्हें मण्डल से एक ही बार Acknowledgement जारी किया जाता है। जबकि ग्रीन कैटेगरी के ऐसे उद्योग जिनकी लागत या निवेश 5 करोड़ से अधिक है उन्हें स्थापना या संचालन की सम्मति अन्य सेक्टर के उद्योग की तरह ही अलग-अलग प्राप्त करनी होती है।
25.	जहां केवल डीजी सैट के जरिए ही वायु प्रदूषण हो रहा है वहां एयर एक्ट के तहत सम्मति शुल्क वसूलने आधार क्या है? जमीन, बिल्डिंग प्लॉट और मशीनरी सहित कुल पूंजी निवेश के आधार पर सम्मति शुल्क लिया जाना चाहिए या केवल डीजी सैट की लागत के आधार पर ?	कार्यालय आदेश संख्या F.14 (34) पॉलिसी/ आरपीसीबी/ पीजी/ 2295-2316 दिनांक 18/08/200 के अनुसार जहां डीजी सैट के अलावा की वायु प्रदूषण का और कोई स्रोत नहीं है वहां वायु अधिनियम 1981 के तहत चार्जिंग सम्मति शुल्क का आधार डीजी की लागत होगी।
26.	यदि प्लॉट या यूनिट की सम्मति की वैधता (Validity) समाप्त खत्म हो जाती है और उसके बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता है तो उससे उस अवधि का भी शुल्क लिया जाएगा या नहीं जिसमें उसने बिना सम्मति के कार्य किया है.?	सम्मति के बिना उद्योग का संचालन नियम का उल्लंघन है। इसलिए या तो राज्य मंडल डिफॉल्ट अवधि के शुल्क ले सकता है अथवा मंडल उद्योग के Prosecution विरुद्ध दायर करने का निर्णय ले सकता है या फिर डिफॉल्ट अवधि में उद्योग द्वारा किसी प्रकार की पर्यावरणीय नुकसान नहीं होने पर इसके लिए केवल Penalty लगाकर उद्योग को आगे संचालन की अनुमति प्रदान कर सकता है। Back Fee की गणना कार्यालय आदेश संख्या F12 (PSC-6) RPCB/2892-2924 dated 12.01.2017 के तहत कि जाएगी।

27.	कारण बताओ नोटिस का समुचित उत्तर नहीं प्राप्त होने पर अग्रिम क्या कार्यवाही की जानी चाहिए ?	यदि कारण बताओ नोटिस का जवाब पर्याप्त नहीं होने पर कारण बतओं नोटिस में प्रस्ताव अनुसार अग्रिम कार्यवाही के विरुद्ध कार्यवाही कि जा सकती है। जिसमें सम्मति निरस्त अथवा उद्योग को बन्द करने के निर्देश देना सम्मलित हैं।
28.	सीजीडब्ल्यूए से वैद्य एनओसी की अनुपस्थिति में सम्मति विषय पर स्पष्टीकरण।	उद्योगों द्वारा सम्मति के समय पानी के वेद्य स्रोत (Source) की जानकारी दिए जाने की आवश्यकता रहती है। जिन उद्योगों द्वारा भू-जल के उपयोग की अनुमति चाहिए उनको भू-जल दोहन हेतु केन्द्रीय भू-जल प्रधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा CTE तथा CTO आवेदन के समय केन्द्रीय भू-जल प्रधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए लगाए गये आवेदन पत्र के आधार पर ही सम्मति पत्रों पर निर्णय लिया जायेगा।
29.	यदि पानी की स्पलाई टैंकों के जरिए होती है तो इस विषय में किस प्रकार के दस्तावेज होना जरूरी है?	पानी की स्पलाई करने वाली एजेंसी के साथ हुए करार के संबंध में दस्तावेज लिए जाने आवश्यक है। साथ ही उद्योग देना होगा संचालक या प्रस्तावक को इस विषय का हलफनामा या एफिडेविट भी देना होगा कि वह भू-जल का दोहन नहीं करेगा।
30.	कई केसों में राज्य मण्डल ने उद्योग की स्थापना और संचालन के लिए एक से अधिक सम्मति प्रदान की है इस विषय में स्पष्टीकरण दे कि क्या इन मामलों में एक समग्र सम्मति जारी की जा सकती है या नहीं?	राज्य मंडल, उद्योग के निवेदन पर सम्मति को समग्र कर एक सम्मति जारी कर सकता है।
31.	परियोजना प्रस्तावक या संचालक कई बार सीटीओ के लिए नया आवेदन उद्योग के कमीशन की तारीख से पूर्व कर देता है। ऐसे मामलों में संचालन की सम्मति की वैद्यता क्या आवेदन की	संचालन की सम्मति उद्योग के संचालन की तारीख से होगी।

	तारीख से या फिर उद्योग के कमीशन होने की तारीख से मान्य होगी, इस विषय में स्पष्टीकरण देवे।	
32.	राज्य मंडल की ओर से डिफॉल्टर उद्योगों को जल और वायु अधिनियमों के प्रावधानों के तहत उद्योग को बन्द करने के निर्देश जारी करते समय क्या उद्योग को दी गई संचालन कि सम्मति को भी रिकोड कर लिया जाता है। इन उद्योगों द्वारा सीटीओ के लिए किए गए आवेदन पर सीटीओ संबंध में निर्णय की वैधता के बारे में स्पष्टीकरण दे।	सम्मति के जारी कराने कि तारीख से ही सम्मति वेद्य मानी जायेगी।
33.	कई मामलों में उद्योग द्वारा किराए पर भूमि या बिल्डिंग ली गई है और संचालक ने केवल किराए की प्रति दी है, जबकि आवेदन के साथ मालिक ने RIICO की अनुमति नहीं ली है? रीको से अनुमति की जरूरत है या नहीं?	रीको से अनुमति जरुरी नहीं है, आवेदक किरायानामा मय Original allottee के Allotment Letter के जरिए जमा करवा सकता है।
34.	RIICO द्वारा यूनिट को आवंटित की गई जमीन के प्रकार को बदले बिना उसका कुछ हिस्सा किराए पर दिया गया जबकि भूमि किसी ओर कार्य के लिए आवंटित की गई थी। क्या लैंड यूज प्रकार को संबंधित अधिकारी से बदलवाना जरुरी है?	यूनिट का लैंड यूज यदि किसी निश्चित श्रेणी में है और बदला हुआ लैंड यूज भी उसी कैटेगरी में आ रहा है अथवा Red Category की जगह Orange Category या Green Category तथा Orange Category की जगह Green Category के लिए प्रस्तावित करता है तो Landuse मे परिवर्तन कराने की जरूरत नहीं है। अन्य मामलों में परिवर्तन कराने की जरूरत है।

35.	राज्य मण्डल के उद्योग को बन्द करवाने के निर्देशों के बाद जब यूनिट नयी स्थापना की सम्मति के लिए एक नए नाम के साथ आवेदन करे, अथवा निर्देशों के बाद जब यूनिट संचालक ने प्लांट बेच दिया और नए मालिक ने स्थापना की सम्मति के लिए एक नाम नए और दस्तावेजों के साथ आवेदन किया हो तो सम्मति दी जा सकती है या नहीं?	यदि नया मालिक उसी उद्योग या यूनिट का संचालन करना चाहता है तो वहीं प्रक्रिया रहेगी जो अन्य उद्योगों के संबंध में रहती है जिसके लिए पहले से निर्देश है वहीं सुनिश्चित करने होंगे। लेकिन यदि नया मालिक प्लांट को खत्म कर नया उद्योग लगाना चाहता है व प्रोजेक्ट बदलना चाहता है तो यह एक नए केस या आवेदन की तरह होगा। प्रस्ताव अगर अधिनियमों एवं मंडल द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यालय आदेशों के अनुरूप होतो सम्मति जारी कि जा सकती है।
36.	जब स्टोन क्रशर खनन भूमि पर ही स्थापित किया जाता है तो उस स्थिति में जमीन कि लागत क्या मानी जाती है और ऐसे केस में क्या संबंधित विभाग द्वारा स्टोन केशर के लिये भूमि रूपांतरण भी जरूरी है स्टोन क्रशर के लिए?	खनन भूमि पर स्टोन क्रशर स्थापना हेतु भूमि रूपांतरण कि आवश्यकता नहीं है। जमीन की लागत डीएलएस रेट से गणना कि जायेगी।
37.	विभिन्न श्रेणी में आने वाले उद्योगों के लिए संचालन की सम्मति की अवधि की वैधता कितनी है?	राज्य मंडल रेड कैटेगरी के उद्योगों के लिए संचालन की सम्मति पांच वर्ष जबकि ओरेंज कैटेगरी के उद्योगों के लिए संचालन की सम्मति 10 वर्ष के लिए जारी करेगा। वहीं ग्रीन कैटेगरी के उद्योगों के लिए यह सम्मति 15 वर्ष के लिए होगी। रेड, ओरेंज व ग्रीन कैटेगरी का पुनःनिर्धारण मंडल की ओर से समय-समय पर किया जाता है। ऐसे ग्रीन कैटेगरी उद्योग जिनका निवेश या लागत 5 करोड़ से कम है ऐसे उद्योग “Acknowledgement” के अन्तर्गत आते है जिन्हें मण्डल से एक ही बार Acknowledgement जारी किया जाता है।
38.	हेल्थ केयर सुविधा (एच सी एफ) में अस्पतालों के अतिरिक्त कौन-कौनसी इकाईयाँ/संस्थान आते हैं।	हेल्थ केयर सुविधाओं के अन्तर्गत अस्पतालों के अलावा सभी नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, पशुपालन संस्थान, पैथोलॉजिकल लैब, ब्लड बैंक, आयुष अस्पताल, अनुसंधान एवं शिक्षण संस्थान, हेल्थ कैंप, वैक्सीनेशन कैंप, फोरेंसिक/रिसर्च लैब इत्यादि आते है।

39.	कंसेंट एप्लीकेशन अप्लाई करते समय आवश्यक दस्तावेज में प्रोपरायटरशिप वाली इकाई के लिए अथॉरिटी लैटर के लिए क्या दस्तावेज अपलोड करें?	यदि आवेदक आवेदित इकाई का पूर्ण स्वामित्व रखता है तो अथॉरिटी लैटर के रूप में आवेदक के आवेदित इकाई के पूर्ण स्वामित्व होने का स्वसत्यापित प्रमाण पत्र अपलोड करना पर्याप्त है।
40.	क्या स्थापना कि सम्मति के आवेदन करने के समय उद्यम-पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक है।	प्रचलित प्रक्रियानुसार इकाई के संचालन शुरू होने की स्थिति में ही उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होता है। अतः स्थापना सम्मति के दौरान इसकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु आवेदक द्वारा इकाई के प्रथम संचालन सम्मति/संचालन सम्मति विस्तार के दौरान उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
41.	क्या एक ही SSO id से एक से अधिक इकाई राज्यमंडल के MIS में पंजीकृत कि जा सकती है।	नहीं। एक SSO id से एक इकाई ही राज्यमंडल MIS में पंजीकृत की जा सकती है।
42.	क्या आवेदक के किरायेदार होने के स्थिति में इकाई के भूमि की लागत को CA प्रमाणित निवेश प्रमाण पत्र में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।	आवेदक के किरायेदार होने के स्थिति में भूमि की लागत को CA के प्रमाणित निवेश प्रमाण पत्र में सम्मिलित करना आवश्यक है तथापि ऐसा नहीं करने की स्थिति में सम्मति फीस के निर्धारण हेतु आवेदक पृथक से सरकार से मान्यता प्राप्त प्रमाणित मूल्यांकनकर्ता से उस समय कि DLC निर्धारित दर से भूमि लागत का प्रमाण पत्र के साथ जमा कर सकता है। बिना LAND एवम बिल्डिंग के निवेश को शामिल किये सम्मति फीस निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।
43.	एच सी एफ को प्रदूषण नियन्त्रण मंडल से किस-किस प्रकार के प्रमाण पत्र कब -कब प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।	एच सी एफ को प्रदूषण नियन्त्रण मंडल से निम्न प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है। 1. CTE (स्थापना सहमति) निम्न परिस्थितियों में :- (अ) नये एच सी एफ की स्थापना से पूर्व (ब) कार्यरत एच सी एफ जिन्होंने पूर्व में राज्य मंडल से ACTO (Authorisation and Consent to Operate) प्राप्त नहीं किया है, एवं बिना सम्मति के स्थापित है।

		<p>(स) कार्यरत एच सी एफ जिन्होंने राज्य मंडल से ACTO प्राप्त किया है और वे अपनी क्षमता में विस्तार करने के इच्छुक हैं, उन्हें क्षमता विस्तार से पूर्व।</p> <p>2. <u>ACTO (ऑथराइजेशन एवं संचालन सहमति)</u></p> <p>निम्न परिस्थितियों में :-</p> <p>(अ) नये एच सी एफ को संचालन से पूर्व।</p> <p>(ब) कार्यरत एच सी एफ जिन्होंने पूर्व में राज्य मंडल से ACTO प्राप्त नहीं की है, एवं बिना सम्मति के संचालित है।</p> <p>(स) कार्यरत एच सी एफ जिन्होंने राज्य मंडल से ACTO प्राप्त की है और क्षमता विस्तार किया है उन्हें विस्तारित क्षमता पर संचालन से पूर्व।</p>
44.	क्या एच सी एफ को CTO एप्लीकेशन लगानी होती है ?	नहीं। एच सी एफ को अलग से CTO एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है। एच सी एफ को ऑथराइजेशन एवं CTO की एक ही application (ACTO) लगानी होती है।
45.	आनलाईन आवेदन में एच सी एफ को उद्योग के प्रकार में क्या सलेक्ट करना चाहिये?	स्वास्थ्य सेवाएं (Health Care Facilities)
46.	एच सी एफ द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण मंडल से प्रमाण पत्र लेने के लिए online आवेदन का चयन किस प्रकार किया जाएगा।	<p>ऑनलाइन आवेदन के विकल्पों का चयन निम्न प्रकार से किया जाएगा।</p> <p><u>CTE हेतु</u></p> <ol style="list-style-type: none"> जिन एच सी एफ को CTE की आवश्यकता है और वायु प्रदूषण का कोई स्रोत D.G. Set आदि नहीं है उन्हें CTE (Water) विकल्प चुनना चाहिए। जिन एच सी एफ को CTE की आवश्यकता है और उनमें वायु प्रदूषण का स्रोत D.G. Set आदि है उन्हें CTE (Water & Air) का विकल्प चुनना चाहिए। <p><u>ACTO हेतु</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>ऑथराइजेशन</u>, CTO (Air) , CTO (Water) एवं CTO (Water & Air) हेतु एच सी एफ को अलग- अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

		<p>2. एच सी एफ जिनको ACTO की आवश्यकता है और जिनमें वायु प्रदूषण का स्रोत D.G. Set इत्यादि नहीं है उन्हें ACTO (Water) का विकल्प चुनना चाहिए।</p> <p>3. एच सी एफ जिनको ACTO की आवश्यकता है और जिनमें वायु प्रदूषण का स्रोत, D.G. Set आदि है उन्हें ACTO (Water& Air) का विकल्प चुनना चाहिये।</p> <p>4. <u>ऑथराइजेशन</u> व CTO दोनों के हेतु फीस ACTO application के साथ ही जमा की जायेगी।</p>
47.	हेल्थ केयर सुविधाओं को कब सम्मति स्थापना (CTE) एवं <u>ऑथराइजेशन</u> एवं संचालन सम्मति (ACTO) प्राप्त करने की आवश्यकता है ?	<p>बिना बैड वाले एच सी एफ एवं 10 बैड क्षमता तक के एच सी एफ को स्थापना से पूर्व सम्मति स्थापना (CTE) प्राप्त करनी होती है। HCF कि स्थापना के बाद <u>ऑथराइजेशन</u> एवं संचालन हेतु सम्मति (ACTO) प्राप्त करनी होती है। ऐसे एच सी एफ के <u>ऑथराइजेशन</u> एवं संचालन सम्मति (ACTO) वनटाइम है एवं तब तक मान्य रहती है जब तक वे किसी प्रकार का परिवर्तन/विस्तार नहीं करते।</p> <p>10 बैड से अधिक क्षमता के एच सी एफ को स्थापना से पूर्व स्थापना के बाद सम्मति (CTE) प्राप्त करनी होती है। HCF कि स्थापना <u>ऑथराइजेशन</u> एवं संचालन हेतु सम्मति (ACTO) प्राप्त करनी होती है। इन एच सी एफ को जारी ACTO पाँच वर्ष तक वैलीड होती है तथा इसके नवीनीकरण हेतु Validity तिथि से चार माह पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है।</p> <p>जिन एच सी एफ ने आज तक <u>ऑथराइजेशन</u> /सम्मति प्राप्त नहीं की है उन्हें स्थापना सम्मति (CTE) एवं <u>ऑथराइजेशन</u> और संचालन सम्मति (ACTO) प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे एच सी एफ को ACTO के लिए 50% अतिरिक्त शुल्क जमा कराना होगा।</p>
48.	एच सी एफ को CTE एवं ACTO आवेदन के साथ कितनी राशी शुल्क के रूप में जमा करानी होती है ?	एच सी एफ को उनकी श्रेणी के अनुसार स्थापना सम्मति (CTE) एवं <u>ऑथराइजेशन</u> और संचालन सम्मति (ACTO) हेतु निम्नानुसार शुल्क जमा कराना होता है :-

क्र. स.	विवरण	स्थापना सम्मति (CTE)	ऑथराइजेशन एवं संचालन सम्मति (ACTO)
1.	बिना बैड के एच सी एफ एवं 10 बैड क्षमता तक के एच सी एफ	5000 / -	10,000 / -
2.	सामूहिक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधा (CTDF)	30000 / -	1,00,000 / -
3.	11-25 बैड क्षमता के एच सी एफ	10000 / -	20,000 / -
4.	26 - 50 बैड क्षमता के एच सी एफ	20,000 / -	40,000 / -
5.	50 बैड से अधिक क्षमता के एच सी एफ	20000 / - + 500 / - प्रति बैड (50 बैड से ऊपर)	40000 / - + 500 / - प्रति बैड (50 बैड से ऊपर)

यदि एच सी एफ के पास डी.जी. सैट अथवा वायु प्रदूषणकारी कोई अन्य स्रोत है तो उक्त राशी दोगुनी हो जायेगी तथा उन्हें CTE (Air & Water) आवेदन तथा ACTO (Air & water) आवेदन दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत करना होगा।

49.	एच सी एफ को ACTO आवेदन के साथ अतिरिक्त शुल्क कब जमा कराना होता है और कितना?	<p>प्रथम बार ACTO आवेदन प्रस्तुत करने वाली एच सी एफ को एच सी एफ प्रारंभ करने से चार माह पूर्व निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वाले एच सी एफ को 25% अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होता है।</p> <p>ACTO नवीनीकरण आवेदन वैधता तिथि समाप्ति से चार माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है अन्यथा निम्नानुसार अतिरिक्त शुल्क जमा कराना आवश्यक है:</p> <p>(i) वैधता तिथि से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने पर 25% अतिरिक्त शुल्क देय होगा।</p> <p>(ii) वैधता समाप्ति के पश्चात आवेदन प्रस्तुत करने पर 50% अतिरिक्त शुल्क देय होगा।</p>
50.	क्षमता बढ़ाने हेतु एच सी एफ को CTE हेतु कितने बैड का शुल्क जमा कराना होता है?	यदि एच सी एफ की ACTO Valid है तो उसे CTE हेतु केवल अतिरिक्त बैड का शुल्क जमा कराना होता है
51.	किसी एच सी एफ की ACTO Valid है तो भी उसे CTE आवेदन करने की आवश्यकता कब पड़ सकती है?	यदि एच सी एफ अपनी क्षमता में विस्तार करने का इच्छुक है तो उसे बड़ी हुई क्षमता के लिए CTE आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता रहती है।
52.	एच सी एफ द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमुख दस्तावेज ? कौन-कौनसे हैं:	<p><u>CTE आवेदन के साथ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन कर्ता के पक्ष में प्राधिकार पत्र (Authority letter)। 2. निर्धारित प्रारूप में सेल्फ डिक्लेरेशन प्रमाणपत्र। 3. जल आपूर्ति स्रोत की सूचना मय दस्तावेजी प्रमाण एवं भू-जल उपयोग की स्थिति में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की सहमति/सहमति हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति। 4. भूमि संबंधी दस्तावेज (स्वामित्व व संपरिवर्तन) 5. कुल निर्मित क्षेत्रफल संबंधी दस्तावेज-शपथ पत्र व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शा व कुल निर्मित क्षेत्रफल 20000 वर्ग मीटर से अधिक होने की स्थिति में पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental clearance)।

		<p>6. एच सी.एफ से उत्पन्न घरेलू/हॉस्पिटल उच्छिष्ट के उपचार हेतु समुचित क्षमता के एस.टी.पी. का प्रस्ताव (50 बैड से अधिक क्षमता के एच सी एफ हेतु)</p> <p><u>ACTO आवेदन के साथ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन कर्ता के पक्ष में प्राधिकार पत्र (Authority letter)। 2. निर्धारित प्रारूप में सेल्फ डिक्लेरेशन प्रमाणपत्र। 3. निकटस्थ CTDF से जुड़े होने का वैध प्रमाण पत्र। 4. समुचित क्षमता का एस.टी.पी. लगाये जाने संबंधी प्रमाण (50 बैड से अधिक क्षमता के एच सी एफ हेतु) 5. पूर्व में जारी स्थापना सम्मति (CTE) एवं आथोराईजेशन और संचालन सम्मति (ACTO) यदि कोई है तो उसकी बिन्दुवार पालना रिपोर्ट। 6. दिनांक 30.06.2017 तक का water cess जमा होने का प्रमाण। 7. जल आपूर्ति स्रोत की सूचना मय दस्तावेजी प्रमाण एवं भू-जल उपयोग की स्थिति में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की सहमति/सहमति हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति। 8. निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report)। 9. निर्धारित प्रारूप में वार्षिक दुर्घटना रिपोर्ट (Annual Accident Report)।
53.	क्या सभी एच सी एफ को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) स्थापित कर संचालित करना अनिवार्य है?	जी हाँ। बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अनुसार सभी एच सी एफ को एस.टी.पी. लगाना अनिवार्य है तथापि राज्य मंडल द्वारा वर्तमान में 50 बैड से अधिक क्षमता के एच सी एफ में एस.टी.पी. लगाना अनिवार्य किया गया है।
54.	एच सी एफ को स्थापना सम्मति (CTE) एवं ऑथराईजेशन और संचालन सम्मति (ACTO) मुख्यालय से जारी की जाती है अथवा क्षेत्रीय कार्यालय से?	बिना बैड के एवं 100 बैड क्षमता तक के एच सी एफ को स्थापना सम्मति (CTE) एवं ऑथराईजेशन और संचालन सम्मति (ACTO) क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी की जाती है जबकि 100 बैड से अधिक क्षमता के एच सी एफ को मुख्यालय जयपुर से स्थापना सम्मति (CTE) एवं ऑथराईजेशन और संचालन सम्मति (ACTO) जारी की जाती है।

55.	100 बैड तक के एच सी एफ का आवेदन पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निरस्त किया गया हो तो उनके पुनः प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही किस कार्यालय से की जायेगी ?	यदि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दस्तावेजों के अपूर्ण होने मात्र से आवेदन निरस्त किया गया है तो पुनः प्रस्तुत क्षेत्रीय कार्यालय उनके द्वारा ही प्रोसेस किया जायेगा। अन्य कारणों से आवेदन निरस्त होने पर अग्रिम कार्यवाही मुख्यालय द्वारा की जाती है।																		
56.	क्या बड़े एच सी एफ को पर्यावरण स्वीकृति (Environmental Clearance) की आवश्यकता होती है? एच सी एफ के लिए Environmental Clearance कहाँ से प्राप्त होती है?	ऐसे एच सी एफ जिनके भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल 20000 वर्ग मीटर से अधिक हो जाता है उन्हें EIA Notification, 2006 की पालना में सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरण स्वीकृति (Environmental clearance) प्राप्त करना आवश्यक है। राज्य स्तर पर गठित SEIAA द्वारा एच सी एफ के लिए Environmental Clearance प्राप्त कि जा सकती है।																		
57.	ई-वेस्ट प्रोसेसिंग इकाईया कितने प्रकार की हो सकती है?	ई-वेस्ट (मैनेजमेन्ट नियम, 2016) के अनुसार ई-वेस्ट को प्रोसेस करने के मामलों के आधार पर इन इकाईयों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:— <table border="1" data-bbox="884 808 1921 1421"> <thead> <tr> <th data-bbox="884 808 961 906">क्र. सं.</th> <th data-bbox="961 808 1192 906">प्रकार</th> <th data-bbox="1192 808 1921 906">सामान्य विवरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="884 906 961 1008"></td> <td data-bbox="961 906 1192 1008">उत्पादक (Producers)</td> <td data-bbox="1192 906 1921 1008">जो कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के आयातक, निर्माता, Assembler अथवा Brand Owner है।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1008 961 1117"></td> <td data-bbox="961 1008 1192 1117">डिस्मेंटलर (Dismantler)</td> <td data-bbox="1192 1008 1921 1117">ई-वेस्ट को प्रोसेस कर मैनुली अलग करते हैं।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1117 961 1219"></td> <td data-bbox="961 1117 1192 1219">रि-साईकलर (Recycler)</td> <td data-bbox="1192 1117 1921 1219">ई-वेस्ट से मैटल/रिसाईक्लिंग पार्ट को अलग करते हैं।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1219 961 1321"></td> <td data-bbox="961 1219 1192 1321">रि-फर्बिशर Refurbisher</td> <td data-bbox="1192 1219 1921 1321">अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक (Repair) करने के बाद उसको पुनः उपयोग करने की स्थिति में लाते हैं।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1321 961 1421"></td> <td data-bbox="961 1321 1192 1421">विनिर्माता (Manufacturer)</td> <td data-bbox="1192 1321 1921 1421">इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विनिर्माण करने वाली इकाईयाँ।</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	प्रकार	सामान्य विवरण		उत्पादक (Producers)	जो कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के आयातक, निर्माता, Assembler अथवा Brand Owner है।		डिस्मेंटलर (Dismantler)	ई-वेस्ट को प्रोसेस कर मैनुली अलग करते हैं।		रि-साईकलर (Recycler)	ई-वेस्ट से मैटल/रिसाईक्लिंग पार्ट को अलग करते हैं।		रि-फर्बिशर Refurbisher	अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक (Repair) करने के बाद उसको पुनः उपयोग करने की स्थिति में लाते हैं।		विनिर्माता (Manufacturer)	इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विनिर्माण करने वाली इकाईयाँ।
क्र. सं.	प्रकार	सामान्य विवरण																		
	उत्पादक (Producers)	जो कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के आयातक, निर्माता, Assembler अथवा Brand Owner है।																		
	डिस्मेंटलर (Dismantler)	ई-वेस्ट को प्रोसेस कर मैनुली अलग करते हैं।																		
	रि-साईकलर (Recycler)	ई-वेस्ट से मैटल/रिसाईक्लिंग पार्ट को अलग करते हैं।																		
	रि-फर्बिशर Refurbisher	अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक (Repair) करने के बाद उसको पुनः उपयोग करने की स्थिति में लाते हैं।																		
	विनिर्माता (Manufacturer)	इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विनिर्माण करने वाली इकाईयाँ।																		

58.	क्या प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से ई-वेस्ट इकाईयों को सम्मति (Consent) लेना आवश्यक है?	हाँ, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के वर्गीकरण में ई-वेस्ट प्रोसेसिंग इकाईयाँ “Red Category” में वर्गीकृत है तथा इन इकाईयों (Dismantler, Recycler, Refurbisher & Manufacturer) को निम्न प्रकार से मण्डल से Consent व Authorization लेना आवश्यक है:-																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="976 418 955 524">क्र. सं.</th> <th data-bbox="976 418 1396 459">Consent/ Authorization</th> <th data-bbox="976 418 1407 524">कब apply करना चाहिये?</th> <th data-bbox="976 418 1959 524">कितने वर्ष तक वैध होता है?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="976 524 966 638"></td> <td data-bbox="976 524 1407 638">Consent to Establish (CTE)</td> <td data-bbox="976 524 1407 638">इकाई की स्थापना से पूर्व</td> <td data-bbox="976 524 1959 638">5 वर्ष</td> </tr> <tr> <td data-bbox="976 638 966 849"></td> <td data-bbox="976 638 1407 849">Consent to Operate (CTO)</td> <td data-bbox="976 638 1407 849">इकाई के प्रथम संचालन एवं नवीनीकरण से 4 माह पूर्व</td> <td data-bbox="976 638 1959 849">5 वर्ष</td> </tr> <tr> <td data-bbox="976 849 966 1076"></td> <td data-bbox="976 849 1407 1076">Authorization ई-वेस्ट नियमों के तहत</td> <td data-bbox="976 849 1407 1076">इकाई के संचालन के समय (CTO के साथ)</td> <td data-bbox="976 849 1959 1076">Recycler – 5 वर्ष Dismantler-5 वर्ष Refurbisher- One Time</td> </tr> <tr> <td data-bbox="976 1076 966 1190"></td> <td data-bbox="976 1076 1407 1190">Authorization हर्जार्ड्स एवं अन्य वेस्ट नियम, 2016 के तहत</td> <td data-bbox="976 1076 1407 1190">इकाई के संचालन के समय (CTO के साथ)</td> <td data-bbox="976 1076 1959 1190">5 वर्ष</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	Consent/ Authorization	कब apply करना चाहिये?	कितने वर्ष तक वैध होता है?		Consent to Establish (CTE)	इकाई की स्थापना से पूर्व	5 वर्ष		Consent to Operate (CTO)	इकाई के प्रथम संचालन एवं नवीनीकरण से 4 माह पूर्व	5 वर्ष		Authorization ई-वेस्ट नियमों के तहत	इकाई के संचालन के समय (CTO के साथ)	Recycler – 5 वर्ष Dismantler-5 वर्ष Refurbisher- One Time		Authorization हर्जार्ड्स एवं अन्य वेस्ट नियम, 2016 के तहत	इकाई के संचालन के समय (CTO के साथ)	5 वर्ष	
क्र. सं.	Consent/ Authorization	कब apply करना चाहिये?	कितने वर्ष तक वैध होता है?																			
	Consent to Establish (CTE)	इकाई की स्थापना से पूर्व	5 वर्ष																			
	Consent to Operate (CTO)	इकाई के प्रथम संचालन एवं नवीनीकरण से 4 माह पूर्व	5 वर्ष																			
	Authorization ई-वेस्ट नियमों के तहत	इकाई के संचालन के समय (CTO के साथ)	Recycler – 5 वर्ष Dismantler-5 वर्ष Refurbisher- One Time																			
	Authorization हर्जार्ड्स एवं अन्य वेस्ट नियम, 2016 के तहत	इकाई के संचालन के समय (CTO के साथ)	5 वर्ष																			
59.	क्या ई-वेस्ट इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होना आवश्यक है या इसे किसी भी दुकान/व्यावसायिक भूमि पर स्थापित कर सकते हैं?	ई-वेस्ट इकाईयों हेतु भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ कन्वर्जन आवश्यक है। रीको द्वारा आवंटित भूमि पर भी “ई-वेस्ट इकाई” की स्थापना हेतु land use “ई-वेस्ट कार्य हेतु” अंकित होना अनिवार्य है।																				

60.	ई-वेस्ट इकाईयों की Consent to Establish के हेतु क्या-क्या आवश्यक दस्तावेज हैं?	<ol style="list-style-type: none"> 1. ई-वेस्ट इकाईयों की Consent to Establish हेतु Land Ownership Document (औद्योगिक भूमि हेतु) 2. प्रोजेक्ट रिपोर्ट(सी.ए./वित्तीय संस्थान द्वारा सत्यापित), 3. शपथ पत्र, 4. फिजिबिलिटी रिपोर्ट, 5. स्वच्छ जल की आपूर्ति का स्रोत व इसके सम्बन्ध में शपथ पत्र अथवा CGWA की अनापत्ति, 6. उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी, 7. डायरेक्टर/पार्टनर की सूची, 8. ऑथोरिटी लेटर, <p>वायु व जल प्रदूषण के स्रोत व उन पर स्थापित किये जाने वाले Pollution Control Measures की जानकारी, सम्मति शुल्क आदि के साथ मण्डल की वेबसाईट www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb पर निर्धारित शुल्क व दस्तावेजों की चैकलिस्ट की सूची के अनुरूप आवश्यक दस्तावेजों सहित Online आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।</p>
61.	क्या ई-वेस्ट के सम्बन्ध में CPCB द्वारा कोई norms निर्धारित किये गये हैं?	<p>जी हा, CPCB द्वारा ई-वेस्ट के सम्बन्ध में “Guideline on Implementation of E-Waste (Management) Rules, 2016” जारी की गयी है जो CPCB एवं राज्य मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध है।</p> <p>RSPCB website’s link :- https://environment.rajasthan.gov.in/content/environment/en/rajasthan-state-pollution-control-board/information/WasteManagement/E-Waste_Management.html#</p> <p>CPCB’s website’s link:- https://cpcb.nic.in/technical-guidelines-4/</p>

62.	क्या ई-वेस्ट इकाइयों की स्थापना हेतु जगह की उपलब्धता (Space Requirement) व उत्पादन क्षमता (Production Capacity) के बीच कोई सम्बन्ध है?	<p>जी हा, CPCB की Guideline के अनुसार हर प्रोसेस के लिये अलग-अलग space की requirement है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-</p> <table border="1" data-bbox="884 321 1948 727"> <thead> <tr> <th data-bbox="884 321 961 456">क्र. सं.</th> <th data-bbox="961 321 1394 456">प्रोसेस</th> <th data-bbox="1394 321 1948 456">Minimum Space Requirement 1 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के लिये।</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="884 456 961 548"></td> <td data-bbox="961 456 1394 548">Dismantler</td> <td data-bbox="1394 456 1948 548">300 sqm/1 TPD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 548 961 641"></td> <td data-bbox="961 548 1394 641">Recycler</td> <td data-bbox="1394 548 1948 641">500 sqm/1 TPD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 641 961 727"></td> <td data-bbox="961 641 1394 727">Refurbisher</td> <td data-bbox="1394 641 1948 727">150 sqm/1 TPD</td> </tr> </tbody> </table> <p>राज्य मंडल ई-वेस्ट इकाइयों की सम्मति जारी करते समय उपरोक्त गाईडलाईन्स कि पालना सुनिश्चित करता है।</p>	क्र. सं.	प्रोसेस	Minimum Space Requirement 1 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के लिये।		Dismantler	300 sqm/1 TPD		Recycler	500 sqm/1 TPD		Refurbisher	150 sqm/1 TPD
क्र. सं.	प्रोसेस	Minimum Space Requirement 1 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के लिये।												
	Dismantler	300 sqm/1 TPD												
	Recycler	500 sqm/1 TPD												
	Refurbisher	150 sqm/1 TPD												
63.	क्या Dismantler को किसी अन्य facility से agreement/contract करने की आवश्यकता होती है?	जी हाँ, Dismantler को Guidelines के अनुसार Producer अथवा PRO अथवा ई-वेस्ट exchange अथवा Take Back System अथवा अधिकृत Recycler से agreement/contract करने की आवश्यकता होती है।												
64.	Dismantler ई-वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद किसे दे सकता है?	Dismantler उपयोगी पार्ट्स को अधिकृत Refurbisher को तथा Steel, Metal व अन्य पार्ट्स को अधिकृत Recycler को दे सकता है। इस प्रक्रिया का रिकार्ड रखना आवश्यक है।												
65.	क्या Recycler को किसी अन्य Facility से जुड़ने की आवश्यकता है?	जी हाँ, Recycler, Producer को chennelization system का एक हिस्सा होना चाहिये। उसे Producers/PRO/E-Waste Exchange/Dismantler/Consumers/ Bulk Consumers से ई-वेस्ट लेना चाहिये।												

66.	Recycler ई-वेस्ट प्रोसेस करने के बाद किसे दे सकता है?	Recycler अपने product उपयोगकर्ता (Users) अथवा अन्य अधिकृत Recyclers को दे सकता है। प्रोसेस में जनित हार्डवेस्ट को common hazardous waste disposal site (CTDF) पर निस्तारित किया जाना चाहिये।
67.	Refurbisher द्वारा जनित e-waste का निस्तारण किस प्रकार किया जाना चाहिये?	Refurbishing process से जनित ई-वेस्ट को पृथक कर collection centres/अधिकृत Recyclers को भेजा जाना चाहिये। यदि Refurbisher का स्वयं का collection centres नहीं है तो वेस्ट authorized Recycler को ही भेजा जावे।
68.	क्या Refurbisher को भी CPCB से EPR Authorization लेना आवश्यक है?	यदि Refurbisher द्वारा Refurbished Electrical & Electronic Equipments (EEE) market में Sell किये जाते हैं तो CPCB से EPR Authorization लिया जाना अनिवार्य है।
69.	क्या ई-वेस्ट नियमों में Authorization लेने हेतु कोई Form निर्धारित है?	<p>जी हाँ, Refurbisher एवं Manufacturer हेतु Form 1(a) व Dismantler व Recycler हेतु Form 4 में apply किया जाना चाहिये। Forms का प्रारूप मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ई-वेस्ट नियमों में Authorization हेतु मण्डल की वेबसाइट www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb पर उपलब्ध दस्तावेजों की चैकलिस्ट की सूची के अनुरूप दस्तावेजों सहित Online आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। Authorization हेतु Online आवेदन प्रस्तुत करते समय upload किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकार पत्र (Authority letter). 2. निर्धारित प्रारूप में सेल्फ डिक्लरेशन प्रमाणपत्र। 3. जिला उद्योग केन्द्र अथवा अन्य किसी राजकीय संस्था (जो कि इस सम्बन्ध में अधिकृत हो) द्वारा उत्पादन क्षमता हेतु जारी पंजीकरण अथवा प्रमाण पत्र

		<p>(Registration Certificate of installed Capacity issued by District Industries Centre or any other Government Agencies authorized in this regard).</p> <p>4. पूर्व में ई-वेस्ट नियमों के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट (Point wise compliance Report of last Authorization issued under E-Waste Rules).</p> <p>5. जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत जारी वैध संचालन सम्मति की प्रति (Copy of Valid Consent to Operate under Air/Water Act).</p> <p>6. जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत जारी संचालन सम्मति की शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट (Point wise Compliance Report of Consent to Operate).</p> <p>7. डिस्मेन्टलर द्वारा प्रोड्यूसर्स अथवा पीआरओ अथवा ई-वेस्ट एक्सचेन्ज अथवा टेक बैक सिस्टम अथवा अधिकृत रिसाईक्लर से किये गये अनुबन्ध/प्रस्ताव की प्रति (Agreement/Proposal of connectivity to either Producers or PRO or e-waste exchange or take back system or authorized recycler.) (For Dismantler Only).</p> <p>8. रिसाईक्लर की प्रोड्यूसर के साथ सम्बद्धता हेतु प्रमाण यथा : अनुबन्ध/एम.ओ.यू./प्रस्ताव की प्रति (Proposal/Agreement/MOU to prove as a part of producer channelization system.{For recycler})</p> <p>9. रिसाईक्लर के उत्पादों के उपयोग के सम्बन्ध में उपयोगकर्ताओं के साथ किये गये अनुबन्ध की प्रति (The user of the products obtained in the recycler facility should be identified and an agreement may be entered with them for selling of the products obtained in these recycling facilities.{For recycler})</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>10. रिसाईक्लिंग व डिस्मैन्टलिंग प्रक्रिया का विवरण (Details of dismantling or Recycling Process.)</p> <p>11. व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी पहलूओं से संबंधित दस्तावेज (Document regarding occupational safety and health aspects.)</p> <p>12. प्रोड्यूसर्स के साथ किये गये अनुबन्ध की प्रति (Copy of agreement with Producer.)</p>
70.	क्या E-Waste नियमों में Authorization की कोई फीस देनी होती है?	जी नहीं, E-Waste नियमों में Authorization हेतु फीस का कोई प्रावधान नहीं है।
71.	E-Waste के Collection Centre स्थापित करने के क्या norms हैं?	<p>ई-वेस्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 के अन्तर्गत Collection Centres, Producers अथवा Dismantler अथवा Re-cycler अथवा Re-Furbisher हेतु ई-वेस्ट का Collection कर सकते हैं। केवल वे ही Collection Centres संचालन योग्य हैं जिनका उल्लेख Producer द्वारा EPR Authorization में किया गया है। Producer द्वारा अनुबन्धित PRO/Dismantler/ Re-cycler द्वारा भी Collection Centres का संचालन किया जा सकता है। Collection Centres को प्रोड्यूसर के ई-वेस्ट Channelization System का Part बनना आवश्यक है। Collection Centres में:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ई-वेस्ट को तौलने की सुविधा होनी चाहिये। 2. ई-वेस्ट प्राप्त होते ही फार्म 2 के अनुसार प्रविष्टियाँ रिकार्ड में की जानी चाहिये। 3. Mercury containing waste को loading/unloading के दौरान टूटने से बचाने के लिये आवश्यक प्रबन्ध होने चाहिये। 4. CPCB की गाईडलाईन्स के अनुसार ई-वेस्ट को उत्पाद की श्रेणी के अनुसार ही स्टोर किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में आवश्यक space प्रत्येक उत्पाद की श्रेणी के अनुसार निर्धारित है।

		<p>5. ई-वेस्ट कलेक्शन का रिकॉर्ड संधारित कर संबंधित प्रोड्यूसर को सूचित किया जाना चाहिये।</p> <p>6. कवर्ड स्पेस में ही ई-वेस्ट का भण्डारण किया जाना चाहिये।</p> <p>7. अग्निशमन की सुविधायें भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिये।</p>
72.	क्या E-Waste Generate करने वाले व्यक्ति/संस्था को भी Authorization लेने की आवश्यकता है?	जी नहीं, E-Waste generate करने वाले व्यक्ति/संस्था अथवा Bulk Consumers को Authorization लेने की आवश्यकता नहीं होती। Bulk Consumers को ई-वेस्ट के generation की प्रविष्टियाँ Form-2 के अनुसार कर रिकॉर्ड का संधारण किया जाना चाहिये एवं प्रत्येक वर्ष (30 जून से पूर्व) Form-3 में वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
73.	होटल की स्थापना सम्मति अथवा संचालन सम्मति हेतु क्या भूमि का व्यवसायिक प्रयोजन के लिये परिवर्तन आवश्यक है?	जी हाँ। होटल की स्थापना अथवा संचालन सम्मति हेतु भूमि का व्यवसायिक प्रयोजन हेतु परिवर्तन आवश्यक है।
74.	प्रत्येक श्रेणी के उद्योगों का भू-परिवर्तन कराने की बाध्यता है या नहीं ?	प्रत्येक श्रेणी के उद्योगों को भूमि का औद्योगिक अथवा व्यवसायिक उपयोग हेतु (जहाँ-जहाँ लागू है) कन्वर्जन कराना आवश्यक है।
75.	ऑटो मोबाईल सर्विस स्टेशन को आबादी अथवा व्यवसायिक क्षेत्र में स्थापना अथवा संचालन की सम्मति जारी की जा सकती है ?	ऑटो मोबाईल सर्विस स्टेशन को व्यवसायिक गतिविधि के तहत पर स्थापित एवं संचालित किया जा सकता है बशर्ते Competent Authority भूमि का व्यवसायिक प्रयोग के निर्णय भूमि का रूपांतरण किया गया है।
76.	प्रत्येक श्रेणी से पुराना सम्मति शुल्क (Back Period Consent Fee) लेनी है या नहीं?	उन मामलों में जहां मंडल द्वारा विशेष छूट दी गई है, को छोड़कर सभी मामलों में उद्योगों को पुराना सम्मति शुल्क (Back Period Consent Fee) जमा करनी होगी।

77.	ठोस अपशिष्ट अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिकाओं को संचालन अथवा स्थापना के लिए कितनी फीस लेनी है?	<p>ठोस अपशिष्ट अधिनियम, 2016 के अंतर्गत नगरपालिकाओं एवं ठोस कचरा प्रसंस्करण इकाईयों के स्थापना/संचालन सम्मति हेतु शुल्क मण्डल की शुल्क अधिसूचना May, 2016 के तहत (लाल)श्रेणी में इकाई के Capital Investment के आधार पर लिया जाता है।</p> <p>ठोस अपशिष्ट अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिकाओं को संचालन अथवा स्थापना के लिए कितनी फीस निम्नलिखित link पर उपलब्ध है</p> <p>http://environment.rajasthan.gov.in/content/environment/en/rajasthan-state-pollution-control-board/information/notification/2015.html#</p>
78.	रेलवे स्टेशन के संचालन की सम्मति के लिए बकायावधि सम्मति फीस देना आवश्यक है कि नहीं?	रेलवे स्टेशन के संचालन की सम्मति के लिए बकायावधि सम्मति फीस लिया जाना आवश्यक है।
79.	मैरिज गार्डन को जल एव वायु अधिनियमों के अनुसार सम्मति की आवश्यकता है या नहीं?	जी हाँ। मैरिज गार्डन को सम्मति प्राप्त करना आवश्यक है।
80.	MRF को किस श्रेणी में आवेदन करना है तथा क्या संलग्नक लगाए जाएं?	<p>MRF को Red category में आवेदन करना है तथा आवश्यक संलग्नक की सूची निम्न प्रकार है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (Affidavit of legal undertaking), 2. प्रोजेक्ट रिपोर्ट(सी.ए./वित्तीय संस्थान द्वारा सत्यापित), 3. फिजिबिलिटी रिपोर्ट, 4. स्थापित किये जाने वाले Pollution Control Measures की जानकारी,

		<p>– OCEMS के लिए User Name और Password</p> <p>– डेटा अपलोड करने के लिए यूआरएल</p>
83.	<p>राजस्थान स्टेट प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) की वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने की कनेक्टिविटी कार्यविधि क्या है ?</p>	<p>कनेक्टिविटी कार्यविधि –</p> <p>प्रत्येक उद्योग को उपयुक्त फीस जमा कराने के पश्चात् RSPCB OCEMS पोर्टल पर जुड़ने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित है</p> <p>Step – 1</p> <p>Online Monitoring cell को ई-मेल onlinemonitoring.rpcb@gmail.com के माध्यम से उद्योग को एवं उद्योग द्वारा लगाये गये OCEMS की जानकारी “प्री-डिप्लॉयमेंट चेकलिस्ट” में भरकर भेजना है।</p> <p>Step – 2</p> <p>राज्य मण्डल की टीम फिर उद्योग के लिए एक साइट आईडी और मॉनिटरिंग स्टेशन आईडी बनाती है।</p> <p>Step – 3</p> <p>राज्य मण्डल की टीम फिर उद्योगों को डेटा अपलोड करने के लिए यूआरएल और लॉगिन ID एवं Password के साथ ई-मेल पर विवरण भेजती है।</p> <p>Step – 4</p> <p>उद्योग उपलब्ध करायी गयी साइट आईडी, मॉनिटरिंग आईडी आदि से अपने सॉफ्टवेयर को Configure करेंगे और उपलब्ध कराए गए यूआरएल में डेटा अपलोड करना प्रारंभ करेंगे।</p>

		<p>Step – 5</p> <p>राज्य मण्डल की टीम मुख्य डेटा (Master Data) और अपलोड किए गए सीएसवी (CSV) फाइल के डेटा को Verify प्रमाणित करेगी।</p> <p>उद्योग यूआरएल में लॉगिन कर डेटा, अलर्ट व नोटिफिकेशन आदि को जांच सकते हैं।</p> <p>राजस्थान स्टेट प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) के अधिकारी डेटा को केन्द्रीयकृत निगरानी सॉफ्टवेयर (Central Monitoring Software) में देख सकते हैं।</p>
84.	डेटा अपलोडिंग के लिए यूआरएल क्या है ?	<p>जब एक बार वेबसाइट के लिए “प्री-डिप्लॉयमेंट चेकलिस्ट” पूरी हो जाएगी तक यूआरएल उपलब्ध कराया जाएगा। यूआरएल बहुत ही विशिष्ट (Specific) होते हैं। इसलिए वह तभी ही शेयर किए जाते हैं जब “प्री-डिप्लॉयमेंट चेकलिस्ट” पूरी हो जाती है।</p>
85.	केन्द्रीय सर्वर में डेटा अपलोड करने के लिए नाम और फॉर्मेट क्या है ?	<p>जिप फाइल नाम होना चाहिए – SiteID_MonitoringID_UploadTime.zip. (Zip File प्रारूप)</p> <p>दो फाइलों वाली Zip File को अपलोड किया जाना चाहिए (नामकरण):</p> <ol style="list-style-type: none"> सीएसवी मेटाडेटा फाइल (metadata.csv) सीएसवी डेटा फाइल (SiteID_MonitoringID_UploadTime.csv) <p>प्रत्येक जिप फाइल को मॉनिटरिंग स्टेशन पर अपलोड किया जाना चाहिए।</p> <p>नमूना (Sample) फाइल का प्रारूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) की वेबसाइट पर अलग से अपलोड किया जाना चाहिए।</p> <p>http://www.rpcb.rajasthan.gov.in/rpcbweb/Guidelines/site_104_STACK1_20150609143316.zip</p>

		<p>अपलोड किया डेटा दिए गए URL में HTTP REST इंटरफेस का उपयोग करते हुए प्रेषित किया जाएगा।</p> <p>यह ध्यान देने योग्य है कि डेटा अपलोड तुरंत किया जाना चाहिए क्योंकि यदि डेटा अपलोड करते समय रुकावट या अंतर होता है तो सॉफ्टवेयर डेटा अपलोड को निरस्त कर देगा। देरी वाले डेटा को पुनः अपलोड केवल delayed data के URL से किया जा सकता है।</p>						
86.	CSV फाइल भेजने का तरीका (Mechanism), FTP और REST क्या है ?	FTP आधारित कोई Transmission नहीं है। सभी अपलोड केवल HTTP REST आधारित Transmission से होते हैं।						
87.	CSV फाइल की आवृत्ति (Frequency) क्या है ? क्या हमें तात्कालिक (Instantaneous) डेटा या औसत रिकॉर्ड की आवश्यकता है ?	<p>डेटा ट्रांसमिशन 1 मिनट की आवृत्ति पर होना चाहिए। 1 मिनट के लिए 2 सेकंड के पोल फ्रीकवेंसी के साथ औसत डेटा को कैप्चर और भेजा जाना। डेटा उचित गुणवत्ता कोड के साथ होना चाहिए। गुणवत्ता कोड के विवरण के लिए प्रश्न 68 देखें।</p> <p>यदि ट्रांसमिशन 1 मिनट में नहीं किया जाता है, तो इसे Delayed data के रूप में पोस्ट किया जाना चाहिए। डेटा समय पर transmission का समय 1 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि देरी हो रही है, तो केवल delayed डेटा के रूप में पोस्ट करें, अन्यथा फीड अस्वीकार कर दी जाएगी। delayed डेटा को डेटा गुणवत्ता कोड “L” के साथ प्रेषित किया जाना है।</p>						
88.	डेटा गुणवत्ता (Quality) कोड क्या है ?	<p>डेटा ट्रांसमिशन के समय उपयोग में आने वाले डेटा गुणवत्ता (Quality) कोड कुछ इस प्रकार हैं, और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए ISO-7168 में निर्दिष्ट है।</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>डेटा क्वालीफायर</th> <th>कोड</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कैलिब्रेशन ड्रिफ्ट</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>कैलिब्रेशन मोड</td> <td>C</td> </tr> </tbody> </table>	डेटा क्वालीफायर	कोड	कैलिब्रेशन ड्रिफ्ट	D	कैलिब्रेशन मोड	C
डेटा क्वालीफायर	कोड							
कैलिब्रेशन ड्रिफ्ट	D							
कैलिब्रेशन मोड	C							

		सही तथ्य (Corrected datum) O अनुमानित तथ्य (Estimated datum) E गलत पैमाइश (Faulty Measurement) F अमान्य तथ्य (Invalid datum) I रख-रखाव M तथ्य नहीं N उपयोगी तथ्य U जीरो मोड Z देरी से तथ्य L
89.	कौन से मापदण्ड (Parameters) भेजे जाने है, कोई विशिष्ट या अनुमानित ?	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल (CPCB) के निर्देशानुसार निर्दिष्ट (Specified) सभी मापदण्डों को केन्द्रीय निगरानी सॉफ्टवेयर में भेजा जाना है।